Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 18/January/2024 **IJRAW:** 2024; 3(2):85-88 **Accepted:** 20/February/2024

भारतीय संसद द्वारा पुराने कानूनों के बदलाव का वर्तमान समय में प्रभाव-एक समीक्षा भारतीय न्याय संहिता के द्वारा

***[1]डॉ. रामस्वरूप साहू**

*[1]प्राचार्य, राजकीय महाविधालय, कुचामन, एम डी एस. विश्वविधालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय संसद द्वारा पुराने कानून में होने वाले बदलाव के कारण तथा समाज में उनके प्रभाव पर चर्चा की जा रही है। इस शोध पत्र में हमारे द्वारा कुछ नवीन कानून पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक नागरिक कानूनों पर हुये बदलाव को स्वीकार करते हुये अपनी ज़िम्मेदारी भी समझनी होगी। भारतीय न्याय संहिता द्वारा कानून में हुये बदलाव न्याय व्यवस्था के बदलते स्वरूप के साथ आवश्यक भी है।

मुख्य शब्द: भारतीय न्याय संहिता, राजद्रोह, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल इन अब्सेसिया, जुड़ीशियल कम्यूनिटी सर्विस।

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा कानून प्रबंधन को लेकर कुछ आवश्यक कदम उठाए है जो काबिले तारीफ है। ब्रिटिश समय से चले आ रहे कानूनों में बदलाव की आवश्यकता को सरकार ने समझा तथा इस पर काम भी किया। वर्तमान में भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो गयी थी। कानून व्यवस्था में नवीन प्रावधान आने से न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने भारतीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी पूरी कर ली गई है. ये प्रस्ताव करीब चार साल के मंथन के बाद पेश किया गया है। हालांकि, इसको लेकर 2019 में ही विचार शुरू हो गया था। जिसके बाद अंग्रेजों के जमाने का कानून अब बदलेगा. इसके तहत कई ऐसे कानून हैं, जिनमें संसोधन होगा।

साहित्यावलोकन

हमारे द्वारा भारतीय राजनीति से संबन्धित कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया गया जो हमारे शोध पत्र को पूर्ण करने में सहायक रही। महेंद्र प्रसाद सिंह व हिमांशु रॉय द्वारा लिखित बुक 'Indian Poltical System' भारतीय राजनीतिक तंत्र की व्याख्या की गयी है। सुशीला रामास्वामी द्वारा लिखित पुस्तक 'Poltical Theory Ideas and Concpet' राजनीतिक विद्वानो के विचार तथा अवधारणाये प्रस्तुत की गयी है।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोधपत्र में परिकल्पना की गयी है।

शोध उद्देश्य

शोध का प्रमुख उद्देश्य भारतीय संसद द्वारा पुराने कानून के बदलाव समीक्षा आधारित है। कुछ सुझाव भी हमारे द्वारा दिये गए है।

शोध-प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्य रूप से व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक शोध प्रविधि को प्रयोग में लाया गया है। शोध अध्ययन हेतु पुस्तक व सरकारी रिकॉर्ड आदि का शोध उपकरणों के रूप में प्रयोग किया गया है।

सरकार द्वारा न्याय को केन्द्र में लाने के लिए नए उपाय

सरकार द्वारा सभी कानूनों को न्याय आधारित किया है और भारत के मूल न्याय दर्शन के अनुरूप बनाया है। पहले किसी के साथ बेईमानी होती थी, तो बेईमानी करने वाले को सजा हो जाती थी। यह तो दंड भावना के अनुकूल कानून बनाया गया, लेकिन जिसके साथ बेईमानी हुई उसको क्या मिला? अब नये कानून के तहत बेईमानी करने वाले की बेईमानी से अर्जित संपत्ति नीलाम की जाएगी और पीड़ित की भरपाई की जाएगी। न्याय का यह कॉन्सेप्ट पहली बार आया है। इसी तरह, पहले वर्षों तक फैसले नहीं आते थे तथा लोग सालों तक जेलों में सजा भोगते रहते थे। अब सरकार ने तय किया है कि किसी ने पहली बार अपराध किया हो और उस अपराध में जितनी सजा का प्रावधान हो, उसकी एक तिहाई सजा काट चुका हो, तो उसे जमानत दी जा सकती है। इसमें गंभीर अपराधों को शामिल नहीं किया गया जैसे देशद्रोह है, बलात्कार है, चरस-गांजा आदि। लेकिन जो छोटे अपराध हैं, जैसे चोरी-चकारी और एक्सीडेंट, इनमें अन्याय हो रहा था। लोग अपराध की सजा से ज्यादा समय

***Corresponding Author:** डॉ. रामस्वरूप साहू

जेल में काट रहे थे। ऐसी छोटी-छोटी कई धाराओं में सरकार ने 'दंड' की जगह 'न्याय' का प्रावधान किया है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, वे सत्ता संभालने के लिए बनाए थे। पहली बार संविधान की भावना के अनुकूल-सबके साथ समान व्यवहार, नागरिक के सम्मान का अधिकार और न्याय-इन तीनों कॉन्सेप्ट को नई संहिताएं चरितार्थ करने पर ज़ोर दिया गया है।

चित्र 1: न्याय की मूर्ति

नये आपराधिक न्याय के कानूनों में समय पर न्याय के लिए किए गए प्रयास

पुलिस, प्रॉसिक्यूशन की प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया, इन कानूनों में, समय पर न्याय मिले, इसके लिए सरकार द्वारा 35 अलग-अलग सेक्शनों में टाइम लाइन जोड़ी हैं। जैसे अब चार्जशीट के लिए 90 दिन का ही समय मिलेगा। जज को सुनवाई समाप्त करने के बाद 45 दिन में जजमेंट देना ही होगा। पहली सुनवाई के 60 दिन में ही आरोप तय करने होंगे। सरकार द्वारा अलग-अलग प्रावधान करने से समय की मर्यादा को सीमित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास से संभव है की दोषी को समय पर न्याय मिल सकेगा।

सरकार द्वारा पुराने आपराधिक कानूनों में बदलाव-भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किये है जो प्रकार है-

i). **महिलाओं और बच्चों के पक्ष में किए गए बदलाव:** पुराने कानूनों रेलवे की लूट, राजद्रोह, सरकारी खजाने की लूट और सरकारी अधिकारियों पर हमले का कानून है लेकिन इनके केंद्र में नागरिक नहीं था। अंग्रेजों ने अपनी सरकार बचाने के लिए ये कानून बनाए थे। महिला और बच्चों संबंधी अपराध में सरकार ने गैंग रेप में आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। नाबालिग के साथ बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है। पहले पीड़िता के बयान के खिलाफ सांठ-गांठ हो जाती थी। अब पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है तथा वह बयान पीड़िता के अभिभावकों की मौजूदगी में ही हो सकता है, जिससे दबाव न रहे। सबसे बड़ी बात यह कि अब ऑनलाइन एफआइआर का प्रावधान किया गया है। महिलाओं व बच्चों के अपराध से संबंधित 35 धाराएं हैं, जिनमें लगभग 13 नए प्रावधान हैं और बाकी में संशोधन किए गए हैं। त्वरित न्याय और पीड़ित को समाज की शर्म से बचाने के लिए भी प्रक्रियाओं को बदला गया है।

ii). **भ्रष्टाचार के कानून में नये बदलाव:** सरकार द्वारा दो प्रावधान किए है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं और न्यायिक प्रक्रिया के बाद विदेश भाग गए हैं, उनकी संपत्ति जब्त होकर कुर्क होगी। ऐसे ही कई लोग आर्थिक अपराध करके भाग गए उनके लिए सरकार द्वारा 'ट्रायल इन अब्सेसिया' का प्रावधान किया है। अब उनकी गैर-मौजूदगी में भी उनपर केस चलेगा। जज उनको बचाव के लिए एक वकील देंगे। अगर उनको चैलेंज करना है, तो उन्हें तीन साल के अंदर समर्पण करने का मौका मिलेगा, अन्यथा उन्हे सजा हो जाएगी। इससे वे जहां भी छिपे हैं, उनके प्रत्यर्पण के लिए रास्ता खुलेगा।

iii). **न्याय व्यवस्था में तकनीक का प्रयोग:** सरकार की नीति से ज्यादा की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक को अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन गवाही, कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और ई-पेशी भी हो पाएगी। थानों में अनेक मामलों से संबंधित पड़े मामलों का मुद्दा-जैसे चोरी की साइकिलें, ऑटो, शराब ट्रांसपोर्ट करने वाला वाहन आदि। इनकी वीडियोग्राफी करके इन्हें नष्ट भी किया जा सकेगा और बेचा भी जा सकेगा। इससे कोर्ट और थानों की जमीनें खाली होंगी। पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर होने के बाद तीस-तीस साल बाद तक गवाही के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वहीं पर तैनात अधिकारी रिकॉर्ड देखकर गवाही देगा। इससे न्याय में तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। सरकार के अनुसार अब कोई भी नई तकनीक आती है तो उसको जोड़ दिया जाएगा तथा कानून को नहीं बदलना पड़ेगा।

iv). **डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन का कॉन्सेप्ट:** पीड़ित कमजोर है तो कई बार पुलिस प्रॉसिक्यूशन और न्याय प्रक्रिया मिलकर उसके साथ अन्याय कर देते थे, क्योंकि उसकी अपील का निर्णय ये तीन ही करते थे। अब जिला स्तर व राज्य स्तर पर डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन की अलग व्यवस्था की गई है। सजा की अवधि और धाराओं के अनुसार अपील का फैसला सहायक निदेशक से निदेशक स्तर तक होगा। स्वतंत्र अपील के लिए अलग व्यवस्था कर दी है, इससे भ्रष्टाचार कम होगा।

v). **सरकार द्वारा न्यायाधीशों को लेकर किए गये नये प्रावधान:** ब्रिटिश द्वारा बनायी गयी प्रणाली में तीन प्रकार के ज्यूडिशियल सिस्टम थे लेकिन अब पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर असम तक चार ही प्रकार के न्यायाधीश होंगे। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश और कार्यकारी मजिस्ट्रेट होंगे। लोअर ज्यूडिशियरी में यही सिस्टम होगा। उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। न्यायाधीशों को भी निश्चित समय में निर्णय देना होगा। चार्ज निश्चित समय में फ्रेम करना पड़ेगा। एक्टिल की अर्जी निश्चित समय में समाप्त करनी पड़ेगी। इसी तरह से तीव्र न्याय के लिए भी बहुत से प्रावधान किए गए हैं। देश की पूरी न्याय व्यवस्था में साम्यता आएगी। न्यायाधीशों को भी निश्चित समय में निर्णय देना होगा।

vi). **संगठित और आर्थिक अपराध रोकने हेतु नवीन प्रयास:** शाहः ढेर सारे संगठित अपराध इस देश में चलते रहे थे। सरकार द्वारा दो साल पहले एनआइए कानून को सुधारा गया तथा इंटर स्टेट गैंग्स पर कठोर कार्रवाई शुरू हुई। कई जगह इंटर स्टेट गैंग और आतंकवाद गैंग की सांठ-गांठ भी सामने आई। कई जगह संगठित रूप से अपराधी इकट्ठा होकर आर्थिक अपराध भी करते थे। अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, वेश्यावृत्ति और बच्चों से भीख मंगवाने के गैंग संगठित अपराध के तौर पर चलते थे। इन सारे अपराधों के लिए व्यक्तिगत तौर पर एफआइआर दर्ज कर सकते थे। संगठित अपराध की कोई परिभाषा ही नहीं थी। सबसे निचले स्तर का व्यक्ति पकड़ा जाता था और जो ऑपरेट करते थे, वे छूट जाते थे। अब इसकी व्याख्या से नीचे से ऊपर तक के सारे शामिल लोग कानून की जद में आएंगे। इनमें कठोर प्रावधान किए गए हैं। ड्रग्स,

हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी में भी ऐसा ही होगा। भारत की न्याय प्रणाली में ऐसा पहली बार होगा।

vii). **पुलिस की जवाबदेही को लेकर आपराधिक न्याय प्रणाली में किये गये बदलाव:** सरकार द्वारा लगभग 35 धाराओं में पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई है। पुलिस किसी के घर पर तलाशी के लिए जाएगी, तो उन्हें वीडियो बनाना होगा और दो गवाहों के साथ जाना होगा। पूछताछ के लिए बुलाने के मामले में हर थाने का रजिस्टर होगा और जिसे बुलाया जाएगा, उसके घर वाले को सूचना देनी होगी। आप गैरकानूनी तरीके से किसी को थाने में नहीं रख सकते। तीन वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों से पूछताछ की अनुमति लेनी होगी। पुलिस जिसे भी पकड़ेगी, उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा।

viii). **आतंकवाद को रोकने के लिए नये कानूनी प्रावधान:** यदि कोई आतंकी गतिविधि करता है, तो स्पेशल कानून में जाने की जरूरत नहीं होगी। आइपीसी, सीआरपीएसी में ही आतंकवाद को समाहित कर दिया गया है। किसी अन्य कानून की जरूरत ही नहीं है। उसमें आजीवन कारावास और फांसी तक का कठोर दंड रखा है।

ix). **देश के गरीब लोगो पर नये कानूनों का प्रभाव:** कई छोटे-छोटे गुनाह होते हैं जिनमें अब ट्रायल के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। मजिस्ट्रेट को ट्रायल के अधिकार दिए हैं। उसमें चार्ज फ्रेम करने या इनसे मुक्ति देकर कई सारे गुनाह में कम्यूनिटी सर्विस देने की बात जोड़ी गई है। जमानत के लिए कहीं जाना नहीं है। पैनल्टी की 40 धाराएं बढ़ा दी हैं। सजा की जगह पैनल्टी देकर आप छूट पाओगे। इस तरह, इसे सरल किया है। इससे जेलों पर भी दबाव कम होगा। कम्यूनिटी सर्विस और पेनल्टी से भी जेलों पर से दबाव कम होगा।

x). **सभी के लिए समान कानून व्यवस्था:** सरकारी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था, तो सालों साल तक अनुमति नहीं मिलती थी। अब 120 दिन तक डिनायल नहीं किया तो डीम्ड परमिशन मान ली जाएगी। चाहे कलक्टर हो, डीआइजी हो या डीजीपी, कानून ने सबको बराबर कर दिया है। गुनाह किया है और परमिशन नहीं मिलती, तो 120 दिन में कार्रवाई शुरू कर देंगे। इन कानूनों से सबको बराबर का न्याय मिलेगा, चाहे गुनहगार सरकारी अफसर क्यों न हो।

xi). **गवाहों की सुरक्षा पर नये कानून:** शाहः कई बार सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए, लेकिन कानूनी प्रावधान नहीं थे। हमने पहली बार कानून के माध्यम से सभी राज्यों को कहा है कि आपको राज्य में साक्ष्य को सुरक्षा देने के लिए नीति 30 दिन में घोषित करनी पड़ेगी। अब कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एप्लीकेशन करते ही आपको नीति के तहत सुरक्षा मिलेगी। इससे काफी चीजों में बदलाव आएगा।

xii). **अन्य कानूनी प्रावधान:** अभी एफआइआर और छोटी अदालती कार्रवाई में उर्दू और फारसी का उपयोग अधिक होता है लेकिन अब सरकार ने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें शेड्यूल आठ की सारी भाषाएं हैं। सभी व्यक्ति अपनी भाषा में बात कर पाएंगे। कई तरह से विक्टिम सेंट्रिक कानून बनाये है। पहले केस विड्रॉ हो जाते थे और इससे जिसका नुकसान हुआ उसे कोई पूछता नहीं था। अब सरकार को केस विड्रॉ करना है, तो उसे पीड़ित को बताना पड़ेगा। उससे पूछना पड़ेगा। क्षतिपूर्ति का भी अधिकार दिया है। 90 दिन में केस का क्या हुआ, इसके बारे में बताना पड़ेगा। यह विक्टिम सेंट्रिक कानून है।

इन कानूनों में होगा बदलाव

- भारतीय दंड संहिता यानी IPC – 1860
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC-1882
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1873

ये कानून होंगे लागू

- भारतीय न्याय संहिता 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
- भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023
- पहले IPC में 23 अध्याय थे अब भारतीय न्याय संहिता में 19 अध्याय होगे तथा IPC में 511 धाराएं थी अब भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं होगी।

नए प्रावधान संक्षेप में

- **हिट एंड रन-धारा 104:** अगर दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए, वाहन चालक मौके से फरार हो जाए या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट ना करे तो दस साल तक की सजा और जुर्माना होगा।
- **सड़क दुर्घटना में मौत-धारा 104:** सड़क दुर्घटना में कड़ा प्रावधान करने की तैयारी जारी है जिसमें लापरवाही से वाहन चलाने से मौत होने पर जेल जाना ही होगा तथा अब सात साल तक की सजा और जुर्माना होगा।
- **शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना-धारा 69:** शादी का झूठा वादा करके महिला से यौन संबंध बनाना अब अपराध है तथा दस साल तक की सजा और जुर्माना होगा।
- **स्नैचिंग-धारा 302:** स्नैचिंग या झपटमारी को अपराध की नई श्रेणी में परिभाषित किया गया है। इसमें धारा 302 के तहत तीन साल तक का सजा और जुर्माना लगेगा जबकि पहले इसे चोरी में रखा जाता था।
- **मॉब लिंचिंग-धारा 102:** पांच या अधिक लोग अगर भाषा, जाति लिंग, समुदाय, जन्मस्थान या आस्था आदि के आधार पर हत्या करते हैं तो कम से कम सात साल या उम्रकैद या मौत की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- **संगठित अपराध-धारा 109:** किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से काम करने वाले ग्रुप के लिए नया कानून बनाया गया है। अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, लोगों की तस्करी, ड्रग्स, अवैध सामान या सेवाओं और हथियारों, मानव तस्करी रैकेट वेश्यावृत्ति या फिरौती जैसे अपराधो के लिए उम्रकैद और कम से कम पांच लाख का जुर्माने की सजा का प्रावधान है। हत्या होने पर मौत की सजा या उम्रकैद और कम से कम पांच लाख का जुर्माना होगा।
- **आतंकवाद-धारा 111:** भारत या विदेश में भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की नीयत से आतंकवादी गतिविधियां करने वालो को उम्रकैद से मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है।

संशोधित कानून

राजद्रोह का नाम बदलकर अब "भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले" कृत्य" नाम दिया गया । इस अपराध में न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई।

सरकार द्वारा इन विषय पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए-

i). **फिल्म जगत पर भी बने कानून:** फिल्म जगत को उद्धोग धंधो तथा संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं है। आवश्यक फिल्म जगत को संस्थान या उधोग धंधो का दर्जा देकर कानून बनाए जाए। गलत तरीके प्रस्तुत कंटेन्ट पर रोक लगाई जाये। OTT प्लेटफॉर्म में बनने वाले सीरियल व फिल्मों पर भी कानून बनाए जाए। सबसे अधिक समाज को दूषित करने वाला कंटेन्ट OTT प्लेटफॉर्म पर जिन्हे अंकुश करना आवश्यक है।

ii). **बजरी संरक्षण पर बने कानून:** पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु आवश्यक है बजरी संरक्षण पर कानून बने।

iii). **शराब बंदी पर बने सख्त कानून:** शराब बंदी पर भी आवश्यक है की सख्त कानून बने।

iv). **सोशल साइट पर बने कानून:** सोशल साइट पर भी सख्त कानून बने जो गलत कंटेन्ट तथा भड़काऊ कंटेन्ट को रोके जो समाज को गलत रास्ते ले जा रही है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत सरकार द्वारा नए कानून तथा संशोधित कानून पर मंथन प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार द्वारा परिवर्तित कानून न्याय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन लाएगे जो न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगे। हमारी तरफ से भी कुछ विषय पर कानून बनाने के सुझाव दिया गए है

संदर्भ

1. Mukherjee, Subrata and Sushila Ramaswamy, A History of Political Thought Plato to Marx, 2nd edition, PHI Learning Private Limited Delhi 2018.
2. Ramaswamy, Sushila, Political Theory Ideas and Concept, 2nd edition, PHI Learning Private Limited Delhi 2015.
3. Roy, Hemanshu and Mahendra Prasad Singh, Indian Potical System, 4th edition, Pearson India Education Services Pvt. Ltd. 2015
4. https://morth.nic.in/hi/
5. पोद्दार, उमंग, नए आपराधिक कानूनों में 6 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव क्या है?, बीबीसी संवादाता 14 दिसंबर 2023. https://www.bbc.com/hindi/articles/c3gy9n40e5go
6. शाक्य, अनुभव, 420, 302, 144... बदल गए कानून के नाम, देखिए अब किस जुर्म में कौन सी लगेगी धारा, 12 अगस्त 2023. https://navbharattimes.indiatimes.com/india/bharatiya-nyaya-sanhita-2023-ipc-crpc-new-rules/articleshow/102668101.cms#google_vignette